निर्णय बइजलास श्री के.आर. चौहान सहायक कलक्टर (R.A.S.) देवगढ़

प्र.सं. 320 / 16 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 26.03.2018

अनवान

1. श्रीमती अनु पत्नी धन्ना जी जाति बलाई उम्र बालिग निवासी आसन (मियाला) देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

----**प्रार्थीया**

बनाम

1. श्री मोहन रावल पुजारी महादेव जी निवासी आसन (मियाला) देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्री मांगीलाल पिता घीसाराम जी सामरा जाति महाजन निवासी आसन (मियाला) देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्री गोविन्दराम पिता गिरधारीराम जी जाति सालवी निवासी आसन (मियाला) देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्री धन्नासिह जाति रावत निवासी ठिकरवास खुर्द तहसील भीम
5. श्री किशनसिह पिता रामसिह जाति रावत निवासी ठिकरवास खुर्द तहसील भीम
6. श्री मोतीसिह जाति रावत निवासी ठिकरवास खुर्द तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज.)

-----**विपक्षीगण**

प्रार्थना – पत्र अर्न्तगत धारा 111,128 राज0 ले0रे0 एक्ट

उपस्थित :– श्री राजेश समदानी, वकील प्रार्थीया

श्री इन्द्रमल कंसारा, वकील विपक्षी सं. 1

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित जिनकी बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं :–

प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी का इस आशय का पेश किया कि ग्राम आसन पटवार हल्का मियाला में स्थित हैं जिसके खाता सं. 4 आराजी सं. 1200 रकबा 0.10 , आराजी सं. 1201 रकबा 0.07 , आराजी सं.

निरन्तर.....2पर

सहायक कलेक्टर
राजसमन्द

1202 रकबा 0.07, आराजी सं. 1203 रकबा 0.05 कुल किता 4 कुल रकबा 1 बीघा 9 विस्वा भूमि हैं जो प्रार्थीया के स्वामित्व एंव आधिपत्य व कब्जे व खातेदारी की भूमि स्थित हैं उक्त भूमि प्रार्थीया की खातेदारी होकर प्रार्थीया के कब्जे कास्त की हैं तथा इसका उपयोग–उपभोग प्रार्थीया कर रही हैं। उक्त आराजियात निर्बाध रूप से प्रार्थीया कब्जा कास्त हो कास्त करती चली आ रही हैं परन्तु प्रार्थीया की उक्त भूमि के चारो और पत्थर की पक्की बाउण्ड्री अथवा सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षीगण जो प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि के सीमा से मिलते हुए पड़ौसी है। हर समय बुवाई कटाई के सीमा सम्बन्धी विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थीया को अनावश्यक मुकदमेबाजी के लिये विवश होना पड़ रहा हैं तथा मौके पर अशान्ति कायम रहती हैं प्रार्थी अपनी भूमि का शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग एंव कास्त नही कर पा रहा हैं तो प्रार्थी को इस समस्या से हमेशा – हमेशा के लिये निजात मिल जायेगी तथा प्रार्थीया की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की बाद नपती पत्थरगढ़ी कराये जाने के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गयें। प्रत्युत्तर में विपक्षी सं. 01 का सम्मन तामिल हो जाने पर विपक्षी सं. 1 की और से वकील श्री इन्द्रमल कंसारा ने वकालत नामा पेश किया एंव विपक्षी सं. 3 बावजुद सूचना अनुपस्थित रहा जिस पर उसके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई है एंव विपक्षी सं. 2,4,5,6 के विरूद्व वकील प्रार्थीया कोई कार्यवाही नही चाहता हैं इसलिये उनके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की जाती है।

हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र, नकल जमाबन्दी एंव प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस व पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा उन पर मनन किया। ग्राम आसन पटवार हल्का मियाला की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 में प्रार्थीया उक्त भूमि की खातेदारी मालिक है और खातेदार की उसकी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का पुरा पुरा अधिकार है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि जो ग्राम आसन पटवार हल्का मियाला में स्थित हैं जिसके खाता सं. 4 आराजी सं. 1200 रकबा 0.10 , आराजी सं. 1201 रकबा 0.07 , आराजी सं. 1202 रकबा 0.07, आराजी सं. 1203 रकबा 0.05 कुल किता 4 कुल रकबा 1 बीघा 9 विस्वा भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है।

निरन्तर.....3पर

सहायक कलेक्टर

निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें कि प्रार्थीया से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित कर मौके पर पत्थरगढ़ी कर न्यायालय में रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। हर्जा खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़